मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- फ़रीदाबाद ज़िला न्यायालय में ही उड़ रही उच्चतम न्यायालय के आदेश की धज्जियां 3
- मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताने वाले मानवाधिकारों के बड़े पैरोकार जस्टिस राजेंद्र सच्चर का निधन 4
- बलात्कारी के चरित्र पर ही नहीं, आइये सत्ता के महाभारत पर बात करें! 5
- चालू मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने की तैयारी में फेंकू प्रधानमंत्री मोदी 8

वर्ष 31 अंक -17 फ़रीदाबाद 22-28 अप्रैल 2018 फ़ोन : - 9999595632 ₹ 2

अब लंदन की सड़कों पर भी मोदी के खिलाफ उतरे हजारों लोग, गूंजे मोदी विरोध के नारे

जनज्वार विशेष

भारतीय मीडिया में मोदी की लंदन और स्वीडन यात्रा को जिस प्रकार प्रचारित किया जा रहा है, वह दरअसल मोदी सरकार और गोदी मीडिया का प्रचार भर है। इससे इतर लंदन की सड़कों पर मोदी के विरोध का ऐसा नजारा दिखाई दिया है जिसकी आशा मोदी और उनके दल ने कभी नही की होगी।

लंदन में साउथ एशिया सॉलिडेरिटी समूह ने इस विरोध का नेतृत्व किया और इसमें भारत और दक्षिण एशिया के सभी अमन पसंद लोग शामिल हैं। गुस्से और नाराजगी से भरे लोग मोदी विरोध और आसिफा को न्याय के नारे लगा रहे थे। वह कह रहे थे "आसिफा को किसने मारा, भाजपा-मोदी।" इतने जोरदार 'स्वागत' की उम्मीद मोदी और मोदी समर्थकों ने लंदन में कभी नही की होगी।

कठुआ और उन्नाव की घटना को लेकर जैसा माहौल भाजपा-संघ के खिलाफ पूरी दुनिया में बन रहा है ऐसा कभी भी पहले देखा नही गया होगा। हालांकि इससे पहले मोदी की यात्रा पर भी भारतीय प्रधानमंत्री को विरोध झेलना पड़ा था परंतु वह उतना व्यापक और बड़ा नही था जिस प्रकार का विरोध मोदी को इस बार झेलना पड़ा है।

मोदी द्वारा ऑनलाइन संपर्क के बाद भारतीय समयानुसार यह विरोध संगठित रूप से आठ बजे के बाद शुरू हुआ और डाउनिंग स्ट्रीट से पार्लियामेंट स्क्वायर तक किया गया। जिसमें लोग गुस्से और आक्रोष में मोदी विरोधी नारे लगा रहे थे। इस विरोध की धमक कई दिनों से लंदन की सड़कों पर देखी जा रही थी। जिस प्रकार अनेकों वाहन मोदी के खिलाफ पोस्टर और होर्डिंग्स लगाकर पूरे शहर में घूम रहे थे। उससे लोगों की नाराजगी को साफ समझा जा सकता है। कठुआ की रेप पीड़िता आसिफा के फोटो के साथ संदेश लिखे वाहन भी लंदन की सड़कों पर देखे जा सकते थे।

मोदी के विरोध में लंदन के जाने माने भारतीयों के अलावा दक्षिण एशियाई मुल्कों के दूसरे नामचीन लोग भी मैदान में उतरे हैं। इनमें कई ब्रिटेन के नामी गिरामी और पहचाने हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं के अलावा विभिन्न पेशों से जुडे हुए लोग हैं।

लिंग जांच पर छापा: अपराधी डॉक्टरों को छोड़ा, कर्मचारी को दबोचा

फ़रीदाबाद (म.मो.) सेक्टर 15 स्थित जीवन ज्योति नर्सिंग होम पर 12 अप्रैल को सिविल सर्जन की टीम ने छापा मारा। सूचना थी कि यहां गर्भवती महिलाओं के भ्रूण की लिंग जांच होती है। 'छापा कामयाब रहा।' लेकिन उन दोषी डॉक्टरों को, जिन्होंने अल्ट्रासाऊंड करके भ्रूण का लिंग पता किया, गिरफ़्तार करने के बजाय वहां काम करने वाली एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मीना को गिरफ़्तार कर नीमका जेल भिजवा दिया।

कर्मचारी मीना पर आरोप है कि उसने गर्भवती महिला व उसके परिजनों को इशारों की भाषा में लिंग जांच का परिणाम बताया था। बड़ी बात है कि जिन डॉक्टरों ने भ्रूण जांच करके लिंग का पता लगा कर मीना को बताया उन्हें तो किसी ने पकड़ा नहीं और जिस अदना सी कर्मचारी ने सूचना को आगे पहुंचाया उसे गिरफ़्तार कर अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि छापा मार टीम के डॉक्टरों एवं पुलिस ने तो जो किया सो किया, उस अदालत ने क्या किया जिसके सामने मीना को पेश किया गया? क्या अदालतों का यही काम रह गया कि जिस गरीब को पुलिस पकड़ लाये उसे सीधे जेल भेज दे। हां यदि मीना की जगह कोई साधन सम्पन्न होती तो, इस बात के लिये वकील लड़ मरते और तब उसे कदाचित जेल न भेजा जाता।

'मज़दूर मोर्चा' की तहकीकात में सामने आया कि सिविल सर्जन गुलशन अरोड़ा की जिस छापामार टीम ने एक 5 माह की गर्भवती को नकली ग्राहक बना कर भेजा था उसने नर्सिंग होम के किसी डॉक्टर से कोई सौदा तय नहीं किया जबकि सौदेबाज़ी के दौरान होने वाली बातचीत को रिकार्ड करने वाला गुप्त कैमरा उस गर्भवती को लगा कर दिया गया था। गर्भवती से हुई साधारण बात-चीत के अनुसार गर्भस्थ शिशु की रूटीन सवास्थ्य जांच करनी थी जिसके लिये नर्सिंग होम ने मात्र 1100 रुपये की फ़ीस ली। विदित है कि लिंग जांच कोई भी डॉक्टर इतनी कम फ़ीस में नहीं करता।

छापामार टीम के कहे अनुसार गर्भवती महिला ने पहले उक्त कर्मचारी मीना से बात-चीत की थी क्योंकि छापामार टीम का मानना था कि नर्सिंग होम वाले मीना के माध्यम से ही यह धंधा करते हैं। परन्तु मीना के साथ हुई गर्भवती की बात-चीत में भी कोई आपत्तिजन तथ्य रिकार्ड नहीं है। छापामार टीम ने मुकदमा दर्ज करने के लिये जिस बात को आधार बनाया वह मीना द्वारा ''खुशखबरी'' कहना था। अब खुशखबरी तो गर्भस्थ शिशु के स्वस्थ होने की भी हो सकती है चाहे वह लड़का हो या लड़की। उक्त तथ्यों के आधार पर तो कतई कोई केस बनता ही नहीं।

इसके बावजूद आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने के पीछे सिविल सर्जन गुलशन अरोड़ा का निजी स्वार्थ नज़र आता है। सारे शहर में ये चर्चा आम है कि सिविल सर्जन सभी अल्ट्रासाऊंड करने वाले डॉक्टरों से अच्छी-खासी मंथली वसूलता है। जो इसे देने में ढिलाई बरते या आनाकानी करे, उसके यहां इस तरह के छापे मार कर उन्हें डराया जाता है।

चंडीगढ स्थित स्वास्थ्य मुख्यालय का एक आदेश भी बताते हैं जिसके अनुसार हर माह कम से कम 2 छापे जरूर मारे जायें। इस हिसाब से तो अब तक प्रत्येक अल्ट्रासाऊंड वाले के यहां छापा लग जाना चाहिये था। परन्तु उन चंद गिने-चुने लोगों पर ही बार-बार छापा लगता है जो मंथली देने से इन्कार करते हैं।

डॉक्टर गुलशन अरोड़ा शहर भर में इधर-उधर छापे मरवाते घूम रहे हैं; क्या उन्हें अपने बीके अस्पताल में होने वाले घोटाले नज़र नहीं आते? क्या उन्हें यह नहीं पता कि डॉ. संगीता अग्रवाल हर शनिवार को छिप-छिपा कर, कैमरे की दिशा बदल कर अल्ट्रसाऊंड मशीन पर क्या करती हैं? इस मशीन पर काम करने के बाद जवाहर कॉलोनी व डबुआ कॉलोनी के छोटे मोटे क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को बुला कर क्या करती हैं? डॉ. गुलशन अरोड़ा की इस छापेमारी को क्यों यह न समझा जाय कि लोग इधर-उधर क्यों भटकते हैं जब लिंग जांच की सारी सुविधायें सुरक्षा सहित उनके अपने अस्पताल में मौजूद हैं?

सारा शासन-प्रशासन था एकजुट, फ़िर भी वरुण ने कराया सतीश पाराशर के विरुद्ध जालसाज़ी का मुकदमा दर्ज

फ़रीदाबाद (म.मो.) वर्ष 2012-13 में नगर निगम के सीनियर टाउन प्लानर सतीश पाराशर ओल्ड फ़रीदाबाद जोन के संयुक्त आयुक्त के पद पर तैनात थे। उस वक्त उन्होंने अपनी एक महिला लिपिक सुनीता डागर से मिलीभगत करके किसी हीतेन्दर के नाम बसेलवा गांव में डेयरी का प्लॉट आवंटित कर दिया था।

क्षेत्र के पार्षद नरेश नम्बरदार ने जून 2017 में यह मामला बाकायदा निगम सदन की बैठक में पूरे जोर से उठाया भी था। लेकिन भ्रष्टाचारी राजनेताओं व उच्चाधिकारियों ने अनसुना कर दिया। मामला वरुण श्योकंद के नोटिस में आया तो उन्होंने निगम आयुक्त, पुलिस आयुक्त, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव तथा मुख्यमंत्री विंडो पर दरखास्तें लगाईं लेकिन कहावत 'लंका में सारे 52 हाथ के' को चरितार्थ करते हुए सभी ने मामले को दबा दिया।

हार न मानते हुए वरुण ने वकीलों नीरज बालियान व आयुष गोयल के द्वारा 20 अप्रैल को मामला ज़िला न्यायालय में दायर किया। सुनवाई करने के बाद सब जज हिमानी गिल ने थाना ओल्ड फ़रीदाबाद को सतीश पाराशर, सुनिता डागर व हितेन्दर के विरुद्ध धोखाधड़ी व जालसाज़ी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं।

इन तीन आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश तो कोर्ट ने दे दिये, अच्छा किया। लेकिन जिन सरकारी अफ़सरों ने, जो लाखों रुपये मासिक की तनख्वाह डकारते हैं, मामले को दबाने का प्रयास किया उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही का आदेश नहीं दिया। यदि ऐसे हरामखोर एवं भ्रष्ट अफ़सरों के विरुद्ध भी अदालतें समय पर उचित कार्यवाही करें तो किसी श्योकंद को अपना बहुमूल्य समय इस तरह के मामलों पर खर्च करके अदालतों का कार्यभार न बढाना पड़े।

जो निकम्मे लोग कुछ नहीं करना चाहते वे अक्सर अपने बचाव में कहते हैं कि 'एक अकेला क्या कर सकता है?' अब देख लिया ना कि एक अकेला श्योकंद क्या नहीं कर सकता। जो निगम के सदन व तमाम उच्चाधिकारियों व राजनेताओं ने नहीं किया, जबकि उनके पास सब कुछ करने के कानूनी अधिकार थे, उसे एक अकेले श्योकंद ने कर दिखाया।

क्या था मामला

आरोपी हितेन्दर ने नगर निगम की डेयरी स्कीम के तहत प्लॉट हथियाने के लिये मध्य प्रदेश की सागर तहसील से बनी एक जनरल पावर ऑफ़ अटार्नी पेश की जो सुनीता डागर के नाम थी। इस पावर ऑफ़ अटार्नी के आधार पर उस वक्त बतौर संयुक्त आयुक्त काम करते हुए सतीश पाराशन ने प्लॉट हितेंदर के नाम अलॉट कर दिया। लेकिन श्योकंद द्वारा डाली गयी आरटीआई के जवाब में सागर के तहसीलदार ने लिखित सूचना दी कि उनके यहां से ऐसी कोई पावर ऑफ़ अटार्नी जारी ही नहीं हुई।